कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 07/ 9 /2018

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरूड़–बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.54 है0 वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल का अधिकारी वन संरक्षण का पत्रांक सं0 2631/FP/UK/ROAD/10272/2015 दिनांक 01.02.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्पतियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो तीन प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 666 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

SDO

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adıkarı

एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

फोन/फैक्स न0– 05963–221761 E-Mail ID eepmgsybageshwar@rediffmail.com

पत्रांकः– 508 / दिनांक 30/ 7 /2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– *जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरूड़ बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।*

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–08 बी/यू0सी0पी0/06/171/2015/एफ0सी0/1755 दिनांक 24.01.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक –08 बी/यू0सी0पी0/06/171/2015/एफ0सी0/1755 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। जिसमें अधोरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। उक्त पत्र के कम में अनुपालन निम्नवत् है।

1– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में 540 वृक्षों के वृक्षोरोपण एवं दस वर्ष तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू–594000.00 जमा कर दी गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न।

2– शर्त संख्या–2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 354780.00 जमा कर दी गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न।

3– शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

4– शर्त संख्य–4 के अनुपालन में वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा कारपोरेशन बैंक में RTGS द्वारा जमा करा दिया गया है। प्रमाण पत्र एवं पुष्टि पत्र संलग्न।

5– शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर जहां सम्भव हो strip plantation कराये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– शर्त संख्या –6 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न।

7– शर्त संख्या –7 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न।

8– शर्त संख्या –8 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न।

संलग्नक !– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 20.7.18

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

पत्रांकः– तद्दिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30.7.18

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 540 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 594000.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है। (जमा प्रति संलग्न) ।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर ।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD /10272/2015 Garur-Binkholi to Kothon Motor Road	ROAD102722015887	6110272887	24 Jan 2018	CA: 0/- , Addl CA 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA 0/- NPV: 354780/- , Tree Plantation : 594000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 948780/- ,	Paid	Fund Demand verified by Nodal Officer on : 08 Jun 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Jun 2018 Transaction Date : 19 Jul 2018	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD /10576/2015 Rawatsera-Manakbhara Motor Road	ROAD105762015573	113105762015573	08 Mar 2016	CA: 1899530.896/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2709468/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4608998.896/-	Paid	Fund Demand verified by Nodal Officer on : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 31 May 2017	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD /9499/2015 Kathpuriyachina Raikholi to Siya Motor Road	ROAD94992015579	11394992015579	19 Aug 2015	CA: 2288280.672/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3263976/- , Both side plantation of road. : 1726560/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7278816.672/-	Paid	Fund Demand verified by Nodal Officer : 20 Mar 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Mar 2017 Transaction Date : 01 May 2017	Demand Letter Generated Challan
4	FP/UK/ROAD /10151/2015 Bageshwar-Tallisera to Simtoli Motor Road	ROAD101512015963	113101512015963	29 Jul 2015	CA: 2233929.4/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3186450/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5420379.4/-	Paid	Fund Demand verified by Nodal Officer 20 Mar 2017 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 21 Mar 2017 Transaction Date 28 Apr 2017	Demand Letter Generated Challan
5	FP/UK/ROAD /11323/2015 Kausani to Malladobha Motor Road	ROAD113232015125	113113232015125	02 Nov 2016	CA: 1017013.632/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-	Paid	Fund Demand verified by Nodal Officer 20 Mar 2017 Bank Name Corporation	Demand Letter Generated Challan

Attested
Executive Engineer
Irrigation Division
P.W.D. Bageshwar
(P.M.G.S.Y)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग ।

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों से धनराशि रू0 354780.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है। (जमा प्रति संलग्न) ।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधिया (NPV, Plantation etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा कारपोरेशन बैंक में RTGS द्वारा जमा करा दिया गया है। (पुष्टि पत्र संलग्न है।)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद बागेश्वर में गरुड़–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग निर्माण हेतु – **0.54 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10272/2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 0.54 है0 सिविल वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा0व0से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः देहरादून

तिथि : 10/07/2015

स्थानः देहरादून

PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/10272/2015

PROPOSAL NAME – GARUR-BINKHOLI TO KOTHO MOTOR ROAD

AREA-0.54 Ha

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

Signature- Joshi

Name and designation (Meenakshi Joshi)
Additional Secretary
Forest & Environment
Uttarakhand Secretariat

Official seal

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग।**

प्रस्तावित मोटर मार्ग गरूड़–बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग, लम्बाई 2.50 किमी0, ब्लॉक/तहसील–गरूड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बागेश्वर में प्रस्तावित है। मोटर मार्ग का निर्माण अवधि 12 मांह की है। इसलिए इसमें मुख्यता अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगें, जिसकी संख्या– 2000 है, तथा इससे कोई स्थाई रोजगार उत्पन्न नही होगें, अतः स्थाई रोजगार की संख्या शून्य है।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

डिजिटल मैप :- जिला बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गरुड़-बिनखोली से कोठो मोटर मार्ग (ल0-2.600 कि0मी0) प्रपत्र-1.3

Main Attachment 1.3

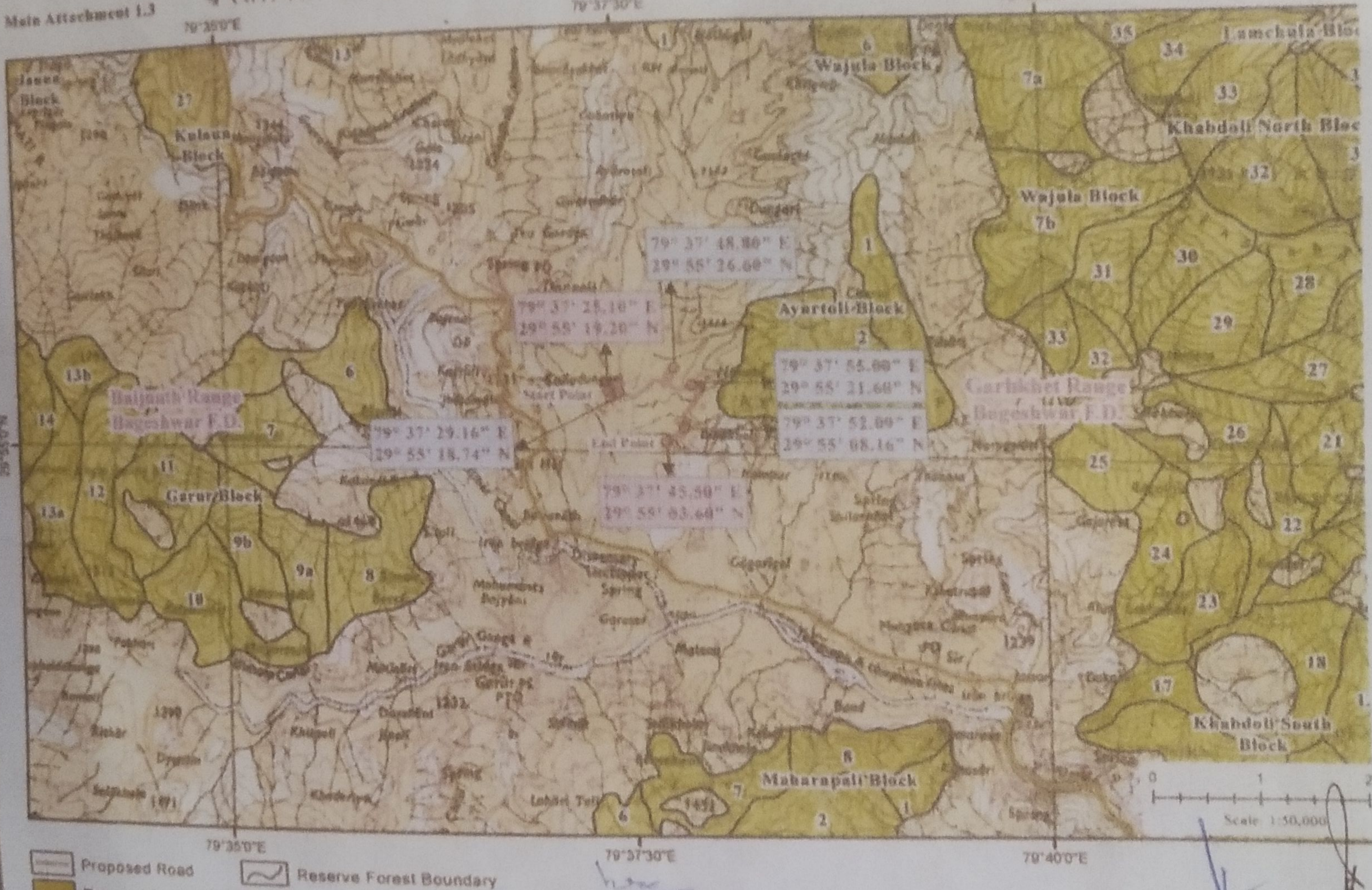

अधिशासी अभियन्ता
सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई० बागेश्वर (पी०एम०जी०एस०वाई)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल – moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 171 / 2015 / एफ0सी0 / 1755 दिनांक 24 / 01 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़–बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.54 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–625/X-4-15/1(364)/2015 दिनांक 25.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10272/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़–बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.54 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 540 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात, जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit original hard copy of Part IV & V of the proposal.
7. State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data at para-E Part-I.
8. State Govt. will upload digital map of area proposed for diversion at para C(iv) Part I.

कमलप्रीत

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख—रखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 28 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां—जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख—रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक